संख्या–सम्ब0 268/सत्तर–6–2014–2(379)/2014

प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 26 जून, 2014

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–दी0द0उ0गो0वि0वि0/सम्बद्धता/2014/174, दिनांक 30.04.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन पी0के0 महाविद्यालय, पटखौली, फाजिलनगर, कुशीनगर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास एवं गृह विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय अन्तर्गत के बी0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–बी में इंगित कमियों यथा – प्राचार्य एवं शिक्षक अनुमोदित नहीं है, को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता संबंधी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से संबंधित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/ महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20–12–2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2—2013–2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब0 268(1)/सत्तर–6–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अपर सचिव,राज्य उच्च शिक्षा परिषद्,छठां तल,इन्दिरा भवन,लखनऊ को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4. प्रबन्धक, पी0के0 महाविद्यालय, पटखौली, फाजिलनगर, कुशीनगर ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

पत्रांकः दीद०गोविवि/सम्बद्धता/2015/499 दिनांकः 30/5/2015

प्रेषक,

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य
पी०के० महाविद्यालय, पटखौली, फाजिलनगर, कुशीनगर।

विषय– पी०के० महाविद्यालय, पटखौली, फाजिलनगर, कुशीनगर स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०काम० पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि "माननीय कार्यपरिषद के आकस्मिक बैठक 29.05.2015 के निर्णयानुसार महाविद्यालयों में मानकानुसार स्थायी प्राचार्य के अभाव में तथा लगातार तीन वर्षों में संस्थागत छात्रों का प्रस्तावित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत से कम परीक्षाफल होने की स्थिति में मात्र एक वर्ष सत्र 2015–16 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तरण कर दिया जाय परन्तु यदि एक वर्ष के अन्दर स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं करते हैं और परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम होता है तो ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है"।

अतः माननीय कार्यपरिषद के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 29.05.2015 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन पी०के० महाविद्यालय, पटखौली, फाजिलनगर, कुशीनगर स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०काम० पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत मात्र सत्र 2015–16 अर्थात् एक वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है।

1. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त कर छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में छात्रों का लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर–2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर–2–2008– 2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्याः दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2015 /............ तद्दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, कला/वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी०द०उ० गो०वि०वि०, गोरखपुर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव